ANNEXURE II

(*See* para 2)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949

New Delhi, the 8th November, 1949

No. 420-Con.——In exercise of the powers conferred by section 8 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (XLI of 1948) the Central Government is pleased to make the following rules, namely:——

1. **Short Title.**——These rules may be called the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949.

2. **Definitions.**——In these rules, "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. **Scale of Fees.**——Fees for functions performed by diplomatic and Consular Officers in respect of matters specified in column I of Schedule I will be levied according to the scale prescribed in column 2 thereof.

4. **Power to remit Fees.**——(1) A diplomatic or a Consular Officer may remit a fee leviable under rule 3 on the ground of the destitution of the person to whom the Consular service is rendered or as a matter of professional or international courtesy and on no other ground.

(2) The Central Government may, if it is satisfied that the payment of any fee leviable under rule 3 will cause or is likely to cause undue hardship to any person, direct that such fee may be remitted, either in whole or in part, in relation to that person.

5. **No remuneration to be charged for consular service.**——A diplomatic or Consular officer shall not, save as is provided in these rules, ask for or take any fee or reward for or on account of any act, thing or service done, performed or rendered by him in the execution of his office.

6. **Collection of Fees.**——All fees shall be paid in cash against the issue of receipts and the amount so collected shall be accounted for to the Government of India.

7. **Publication of Table of Fees.**——(1) A copy of the table of fees prescribed-Schedule I shall be affixed and exhibited in a conspicuous place in every Consular Office and shall be open to inspection by all interested persons.

(2) A notice in large type shall be attached to, or exhibited in close proximity to the Table of Fees, informing the public that the fees are payable in cash and receipts will be issued for such payment.

7A. **Gratuitous issue of copies of table of fees.**——A printed copy of the table of fees prescribed in Schedule I shall be given by every chief officer of customs, at a port of India, gratuitously to every master of vessel clearing out of the port, who requests the same.

8. **Maintenance of Register.**——A consular service register showing the details of consular services rendered, names of persons served and their nationality, the amount of fees levied for each service, application form number and receipt number and containing the initials of the consular officer shall be maintained at each consular office.

9. **Inclusion of consular fees collected in the monthly statement of accounts.**—The consular fees collected under these rules shall be accounted for through the monthly statement of accounts sent by the consular office to the Government of India and the statement shall be accompanied by a certificate signed by the First Secretary, or where there is no First-Secretary, by the Head of Mission, to the effect that the consular fee account pertaining to the month have been duly checked and the amounts collected have been credited to the account of the Government of India.

———

SCHEDULE 1

(*See* rule 3)

Table of consular fees

Matters in respect of which fee is leviable	Amount of fee	
	Category "A" Countries	Category "B" Countries
(1)	(2)	(3)
Part I-Fees to be taken in respect of merchant shipping.	Rs.	Rs.
1. For every declaration taken or recorded under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), with a view to the registry, transfer and transmission of ships, interests in ships, or mortgages on ships	105.00	70.00
2. For endorsing a memorandum of change of master upon the certificate or of registry, and initialling his signature on agreement with crew, if required	60.00	40.00
3. For granting a provisonal certificate of registry (this fee to be exclusive of fees on declaration)	390.00	260.00
4. For recording a mortgage of ship or shares in a ship . .	390.00	260.00
5. For recording the transfer of a mortgage of a ship or shares in ship	390.00	260.00
6. For recording the discharge of a mortgage of a ship or shares in ship	390.00	260.00
7. For every sale of a ship or shares in a ship made before a consular officer	390.00	260.00
8. For certified copy of extract from register book of transactions in ships, if not exceeding 100 words . . .	45.00	30.00
For every subsequent 100 words	25.00	16.00
9. For every seaman engaged before a consular officer . . .	30.00	20.00
10. For every alteration in agreement with seamen made before a consular officer	30.00	20.00
11. For every seaman discharged or left behind with the sanction of a consular officer	30.00	20.00
12. For every desertion certified by a consular officer . .	30.00	20.00
13. For receiving a return of the birth or death of any person on board a ship, and for endorsing the ships agreement with respect thereto	30.00	20.00
14. For attesting the execution of a seaman's will	30.00	20.00
15. For certification of form of claim for wages, etc. of a deceased seaman	15.00	10.00

(1)	(2)	(3)
16. For examination of provisions or water to be paid by the party who proves to be in default in addition to costs of survey.	180.00	120.00
17. For every salvage bond made in pursuance of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) to be paid by the master or owner of the property salvaged.	600.00	400.00
18. For custody of ships' papers, making endorsement thereon and giving the certificate required by the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) including the fee for inspection of ship's papers.	45.00	30.00
19. For noting a marine protest and furnishing one certified copy if required	105.00	70.00
For every other copy	45.00	30.00
20. For filing a request for survey and issuing order of survey.	180.00	120.00
21. For receiving report of survey, filing origin one in archives (if not exceeding 200 words) and furnishing, if required, one certified copy of request, order and report of survey.	390.00	260.00
22. For ordinary periodical survey of a cargo or passenger vessel——		
(a) Cargo vessel not exceeding 5,000 net register tons, per net register ton	5.00	3.00
Ditto. Exceeding 5,000 net register tons, for every 1,000 tons or part thereof above 5,000 tons, in addition to the above Amount	945.00	630.00
(b) Passenger vessel not exceeding 5,000 gross register tons, per gross register ton	5.00	3.00
Ditto. Exceeding 5,000 gross register tons, for every 1,000 tons or part thereof above 5,000 tons, in addition to above amount	945.00	630.00
NOTE (3) The amount of the fee leviable under clause (a) or clause (b) shall not exceed Rs.18,900 in category "A" and Rs.10,600 in category "B" Countries.		
NOTE (3) For special survey of a cargo or passenger vessel, the fee chargeable shall be in accordance with the nature and extent of services rendered.		
NOTE (3) The above fees include the granting or renewal of a certificate of sea worthiness or a passenger certificate, but do not include overtime charges or travelling expenses.		
23. For extending Marine protests, if not exceeding 200 words, filing original, and furnishing one certified copy, if required exclusive of fees for oaths or declarations, or for drawing, if required, the body of protest	390.00	260.00
24. For any other protest (except bill of exchange) if not exceeding 200 words, filing original, and furnishing one certified copy, if required, This is to be exclusive of fee for drawing, if required, the body of the protest . .	390.00	260.00
25. If the protest or report of survey exceeds 200 words, for every additional 100 words, or fraction thereof	45.00	30.00
26. For attesting average, bottomry or arbitration, bond, each copy	105.00	70.00

(1)	(2)	(3)
27. For preparing afresh agreement with the crew of an Indian vessel on new Articles of Agreement being opened at a foreign port, and for furnishing the copy which the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) requires, should be made accessible to the crew-		
Rs. 10 for each seaman, with a minimum of Rs. 150 in category 'A' Countries and Rs. 7 for each seaman with a minimum of Rs. 105 in category 'B' Countries and a maximum of	390.00	260.00
28. Bill of health	150.00	100.00
29. Certifying to a foreign bill of health	150.00	100.00
30. Issue or attestation of certificate of origin or other documents in support of consignment of goods, for each separate document and for filing copy	45.00	30.00
31. For any additional copy, if signed and sealed by the consular officer	45.00	30.00
32. Certificate of due landing of goods exported from an Indian port	105.00	70.00
33. For application addressed to local authorities for arrest or imprisonment of a seaman, if granted pursuant to the request of the Master-		
For each seaman, if more than one is concerned	24.00	16.00
34. Ditto, for release of a seaman :-		
For each seaman, if more than one is concerned	75.00	50.00
35. For each certificate granted as to the number of the crew of a vessel, or as to any other matter required by the local authorities for the clearance inwards and outwards of a vessel	105.00	70.00
36. Drawing up, in form and language required by local authorities a muster roll or detailed list, giving the names, etc. of each member of the crew of a vessel . . .	45.00	30.00
37. For affixing consular signature and seal, if required to ship's manifest	105.00	70.00
38. For affixing consular seal or signature to any entry in the official log-book of an Indian vessel if such entry is not required by the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)	75.00	50.00
39. For attesting the a execution of a bill of sale of a ship or shares in ship	105.00	70.00
40. For any document required from a consular officer by foreign authorities as a preliminary to the engagement of a seaman in a foreign vessel, including affixing of official seal and signature	30.00	20.00
41. For certifying the engagement or discharge of, or the leaving behind of, or for certifying any alteration in the agreement made under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) with a lascar seaman by the Master of a foreign ship, or for certifying the death of, or the desertion of his ship by any such seaman	30.00	20.00
42. For certifying the transfer of one or more lascar seaman with their agreements, from one foreign ship to another foreign ship, per seaman	60.00	40.00

(1)	(2)	(3)
NOTE.—The fee under this item is inclusive of and not additional to the fee under item 41, and should be divided equally between the two ships concerned, so however that the maximum fee charged to both ships should not exceed Rs. 1,500 in category 'A' Countries and Rs.1,000 in category 'B' Countries.		
43. For inspecting ship's papers when their production is required to enable a consular officer to perform any specific service on the ship's behalf	45.00	30.00
NOTE.—This fee is not to be charged in addition to fee underitem 18 for custody of ship's papers, etc. unless the agreement has been withdrawn from the consular office in the interval		
Part II-Fees to be taken in respect of other services required to be rendered by a consular officer.		
44. For granting certificate not otherwise provided for, if not exceeding 100 words, exclusive of fee for drawing . .	105.00	70.00
If exceeding 100 words, for every additional 100 words or fraction thereof	45.00	30.00
45. For receiving a declaration claiming exemption from or refund of, income tax on shares	24.00	16.00
46. For each signature of a consular officer affixing to an exhibit referred to in an affidavit or declaration . . .	24.00	16.00
47. For each alteration or interlineation initialed by a consular officer in any document not prepared by him . .	5.00	3.00
48. For each signature to a transfer of shares or stock attested by a consular officer when executed in the presence of one or more witnesses besides the consular officer	45.00	30.00
49. For each signature to a transfer of shares or stock attested by a consular officer when executed in the presence of one or more witnesses besides the consular officer	75.00	50.00
50. For exhibit a copy of patent, design or trade mark on notice board and for endorsing a certificate that the patent, design or trade mark has been so exhibited . . .	240.00	160.00
51. For each execution of a power of attorney attested by a consular officer	75.00	50.00
NOTE.—When more than four persons execute a power of attorney at the same time a fee of Rs. 300 only in category 'A' Countries and Rs. 200 only in category 'B' Countries is to be charged.		
52. For attesting the execution of a will of any person not being an Indian Seaman	105.00	70.00
53. For affixing consular officer's signature and seal, if required, to Quarterly or monthly declarations for Government pay or pension	5.00	5.00
NOTE.—No fees to be charged for signing papers for the personnel in the Army, the Navy, the Air Force or in the Merchant Shipping service or their widows or heirs and the word 'Gratis' shall be written near the consular officer's signature. The waiving of the fee shall not be extended to persons drawing civil pensions or retired pay.		

(1)	(2)	(3)
54. For affixing consular officers signature and seal to any other declaration of existence	24.00	16.00
NOTE.—No fee shall be charged from Wasikdars for signature and seal on life certificates and half-yearly finger prints; in such cases the word 'Gratis' shall be written near the consular officer's signature.		
55. For affixing consular officer's signature to any other declaration of existence, if drawn up by a consular officer	45.00	30.00
56. For certificate of a person's identity	75.00	50.00
NOTE.—If the applicant is not personally known to the consular officer, he may require satisfactory evidence of identity and refuse to give the certificate unless such evidence is produced, since the onus of proof rests with the applicant.		
57. For issuing any document required by a foreign authority for the grant of a permit for residence	24.00	16.00
58. For attestation of certificate required by a foreign authority for allowing remittance facilities to India . .	5.00	3.00
59. For attesting the signature of a foreign authority . . .	75.00	50.00
60. For attesting the signature of two qualified foreign medical practitioners on a medical certificate issued by them in the form prescribed in rule 256 of the Supplementary Rules	12.00	8.00
61. For each signature attested by a consular officer in any document not otherwise provided for	75.00	50.00
NOTE.—No fee is to be charged for attesting a signature to any document required for the deposit or withdrawal of money in or from the Post Office Savings Bank or in connection with Savings Bank annuities.		
62. For certifying a copy of any document or part of a document, if not exceeding 100 words	45.00	30.00
If exceeding 100 words, for every additional 100 words or fraction thereof	15.00	10.00
NOTE.—If the document is in any foreign language, double the fee indicated above shall be charged. An additional fee as per item 83 is to be charged when the copy is made by the consular officer.		
63. Opening the will of an Indian subject not being a seaman, including consular signature to minute of proceedings . .	300.00	200.00
64. For each affidavit sworn or affirmed before a consular officer	45.00	30.00
65. For Succession Certificate granted under section 382 of the Indian Succession Act, 1925——		
(a) in respect of assets whose value does not exceed Rs. 10,000	90.00	60.00
(b) in respect of assets exceeding Rs. 10,000, for each Rs. 10,000 or part thereof	75.00	50.00
For the administration or distribution, or both of the property situated in the country of the consular officer's residence, of an Indian subject, not being a seaman, dying intestate, or if not intestate, when undertaken in the absence of legally competent representatives of the deceased . . .	2½ % of the estimated value.	

2½ % levy is not chargeable in the following cases :-

(i) Remittance of death compensation legal heirs; and
(ii) Mere remittance of money belonging to the deceased to the legal heirs.
(Vide MEA Cercular No.T.436/3/78 dated 23-4-83 and No.T.436/108/84(FAT/84/I/(24)dated28-5-84).

(1)	(2)	(3)
NOTE (1).—This fee is to be charged whenever the property or the proceeds of the property of a deceased Indian subject are handed over to a consular officer in his official capacity, either by the local authorities or by other persons, owing to their being no person legally competent according to the lex loci to claim such property or proceeds which are consequently delivered to the consular officer for distribution to the absent parties, either direct or through the Government of India.		
NOTE (2).—The fee should also be charged on a valuation of any portion of the property which a consular officer may, in the exercise of his discretion, remit home. Trinklets and other articles including securities, not exceeding the estimated value of Rs. 2,000 may be remitted home without charging any fee; if it exceeds that estimated value, and remitted home without realisation on the spot, the fee of 2½% must be charged on the whole of the estimated value.		
NOTE (3).—The fee covers the services for correspondence, signing of receipts, payment of debts, and the ordinary duties incidental to acting as administrator, and to distribution of the property to the parties legally entitled to it, or to its transmission to the Government of India, as the case may be. If in the administration or distribution of the property of a deceased Indian subject it is necessary for the consular officer to perform any other service for which a special fee is provided herein, the fee or fees for such service should also be charged.		
NOTE (4).—When, in the case of the death of Indian subject, a consular officer is sent for owing to the absence of relatives, and he only makes arrangements for the temporary custody of the property of the deceased, pending the arrival of relatives or other persons who may be competent to take charge of it, or of instructions from such persons, no charge of the fee of 2½ per cent shall be made, but the fee for affixing the consular officer's seal and the fees for his attendance at the house of the deceased shall be chargeable.		
NOTE (5).—Any money or articles belonging to the estate taken charge of at a subordinate consular post should be sent to the Superintending Consulate.		
67. For performing functions similar to those specified in item 66 in respect of the property situated in the Country of the consular officer's residence of a person, not being an Indian subject, nor a seaman dying intestate or, if not intestate, in the absence of legally competent representatives of the deceased, when heirs in India are partly or wholly interested in such property	2½% on the estimated value.	
68. For uniting documents and affixing consular officer's seal to the Fastening	18.00	12.00
69. For directing search for, or obtaining from Public Record Office or elsewhere, extracts from local registers, or copies of wills, deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation . . .	75.00	50.00
70. For affixing consular officer's signature and seal, if required, to any document not otherwise provided for in this schedule	75.00	50.00

(1)	(2)	(3)
NOTE.—No fee shall be charged for an order or letter sending a seaman to hospital.		
71. For effecting or endeavouring to effect service of a writ—for one visit to the address of the person to be served	190.00	125.00
for each additional visit required	105.00	70.00
72. For each consular officer's seal affixed to a document, packet, or article when no signature is required . . .	24.00	16.00
Part III—Fees for certain attendance by consular officers		
NOTE--As a general rule, a consular officer is to attend out of Office only on the application of the parties concerned, or of the local authority, and such attendance is to be at the. discretion of the consular officer and provided his official duties admit of his absence. In the case of ship-wreck, or for the purpose of assisting a ship in distress the consular officer should attend without waiting for any special request, as his presence may conduce to every possible measure being taken for saving life, and on such occassion, fees indicated in items 73 and 74 are not leviable, but his attendance should not be continued for any other purpose unless it is specially requested. In the event of two consular officers attending out of office, which should only occur in very special cases, or at the request of the parties, the fee for the attendance of the junior is to be half of the amount fixed in this Schedule, as he is to be looked upon as accompanying his senior in the capacity of a clerk. A proconsular officer attending alone is a consular officer for the purpose of fees. Attendance at the consular officer's private residence, during the customary business hours of the place, is not to be considered as authorising the charge of fees.		
73. At a ship-wreck or for the purpose of assisting a ship in distress, per day	600.00	400.00
74. At a ship-wreck, at the request of parties interested, to assist or advice as to salvage, per day	825.00	550.00
75. At the request of parties interested, or of local authorities, at the affixing or removing of seals on property of deceased person, if absent for less than two hours	300.00	200.00
Ditto, ditto, for each additional hour or fraction thereof at Rs.150/-in category 'A' Countries and Rs.100/- in category 'B' Countries with a maximum per day of . .	1200.00	800.00
76. At the request of parties interested, or of local authorities at a valuation if absent for less than two hours	300.00	200.00
Ditto, ditto, for each additional hour or fraction thereof at Rs.150/-in category 'A' Countries and Rs.100/- in category 'B' Countries with a maximum per day of	1200.00	800.00

	(1)	(2)	(3)
77.			
78.	At the request of parties interested, or local authorities at a sale if absent for less than two hours .	600.00	400.00
	Ditto, ditto, for each additional hour or fraction thereof at Rs. 150/- in category `A' countries and Rs. 100/- in Category `B' countries with a maximum per day of	1200.00	800.00
79.	At the request of parties interested, or of local authorities, for the transaction, elsewhere than at the consular office, Of any duty for which a fee is leviable, in addition to such fee for each hour, or fraction thereof at Rs. 150/-in category 'A' Countries and Rs. 100/-in category `B' Countries with a maximum per day of	1200.00	800.00
80.	At the request of parties interested for the transaction of any duty for which a fee is leviable whether at the consular office or at the consular officer's residence, in addition to such fee, for each half-hour or fraction thereof, if in the day time, that is to say, between the hours of 6 A.M. and 9 P.M. but not during the customary business hours of the place	75.00	50.00

NOTE—This fee is leviable for any attendance on Sundays.

Part IV—Fees to be taken in respect of certain other services which may be rendered by a consular officer at his discretion

81.	For the transaction of any duty, for which a fee is leviable under this Schedule whether at the consular office or at the consular officer's residence, in addition to such fee, for each half-hour, or fraction thereof in the night time, that is to say, between the hours of 9 P. M. and 6 A. M	150.00	100.00
82.	For drawing a declaration or other document or the body of a protest, or for taking down in writing verbal declarations or depositions of persons made before a consular officer, or for reducing into writing agreements made before him by contracting parties, exclusive of fees for attestation, etc. if not exceeding 50 words . . .	45.00	30.00
	If exceeding 50 words, for each subsequent 50 words, or fraction Thereof	18.00	12.00
83.	For assisting in drawing up petitions, applications, or other documents not specified, for each such petition, application or document	75.00	50.00
84.	For making or verifying a copy of a document, if not exceeding 100 words, exclusive of fee for certificate . .	24.00	16.00
	If exceeding 100 words, for every subsequent 100 words or fraction thereof	18.00	12.00
85.	For making or verifying a translation of a document, for every 100 words, or fraction thereof, exclusive of fee for certificate	75.00	50.00
86.	For making or verifying a translation of a document in Chinese or Japanese, for first 100 characters	480.00	320.00
	Ditto, for every subsequent 100 characters, or fraction thereof	150.00	100.00
87.	Viva voce translating and interpreting for each 15 minutes, or fraction thereof at Rs. 45/- in category `A' countries and Rs. 30 in category 'B' countries, with a maximum per hour of	150.00	100.00

(1)	(2)	(3)
NOTE(1)——This fee is not to be levied concurrently with fees indicated in items 84 and 85.		
NOTE(2)——This fee is not to be levied when the interpreting is carried on solely to enable the consular officer to execute any official duty, e.g., the composing of disputes.		
88. For drawing a will, if not exceeding 200 words	300.00	200.00
If exceeding 200 words, for every subsequent 100 words or fraction thereof	75.00	50.00
89. For drawing a power-of-attorney, if not exceeding 200 words	150.00	100.00
If exceeding 200 words, for every subsequent 100 words or fraction thereof	75.00	50.00
90. In cases where one or more attesting witnesses, besides consular officer, are required, for each witness supplied by him at the request of the parties interested . . .	30.00	20.00
NOTE—— A consular officer is not bound to provide witnesses for persons desirous of signing document before him, but should the consular officer at the request of the parties, supply witnesses, fees is to be charged for each witness supplied, but not for each signature of such witness.		
91. Attendance elsewhere than at consular office at the request and on behalf of private persons, for the transaction of business which a consular officer is permitted, but is not bound to undertake under the consular instructions, for each hour or fraction thereof at Rs. 150/- in category `A' Countries and Rs. 100/- in category `B' countries, with a maximum per day of . . .	1200.00	800.00
NOTE(1)——This fee is applicable when the attendance of the consular officer is sought for the recovery of lost luggage or for similar reasons. It is not to be levied in respect of commercial enquiries.		
NOTE(2)——The discretionary services for which fees are chargeable, are not to be undertaken except at the sole risk and responsibility of the parties requesting the same on condition of such parties signing the proper declaration.		
(Item 7-90 are covered by MEA notification No. GSR 326(E) dated 2-4-79.		
Part V- Registration of Births/deaths		
92. For registration of birth or death (except the death of a seaman)	15.00	10.00
93. For registration of the death of a seaman	15.00	10.00
94. For each search in the register of births or deaths kept at the Consulate	6.00	4.00
95. For each certified copy of an entry in the register . .	15.00	10.00
96. For each certified copy of registration of Indian citizenship	60.00	40.00
97. For Administering the oath of allegiance in the manner prescribed in rule 28 of the Citizenship Rules, 1956 . .	45.00	30.00

NOTE.——This also includes any other oath sworn or affirmed before a diplomatic or Consular Officer.

(Items 91to 95 are covered by MHA notification No. 26030/87(ii)/78-IC dated 30-5-81. Item 96 is covered by MHA Notification No. 26030/87(i)/78-C dated 4-6-81).

(1)	(2)	(3)
Part VI-Marriage Fees		
98. For every notice of an intended marriage	120.00	80.00
99. For publication of notice	actual charges	actual charges
NOTE.—A suitable amount will be taken as an advance towards cost of publication of notice in newspapers.		
100. For receiving and processing or dealing with an objection	300.00	200.00
101. For solemnsings a marriage	240.00	160.00
102. For solemnisings a marriage at a place referred to in rule 9(c)	90.00	60.00
NOTE.—This will be in addition to the fee referred to in item (iv) above		
103. For receiving notice of a caveat	240.00	160.00
104. For certificate by Marriage Officer of notice having been given and posted up	45.00	30.00
105. For a certified copy of reasons recorded under section 11 or section 17 for refusal to solemnise or, as the case may be for refusal to register, a marriage	24.00	16.00
106. For certified copy of an entry:		
(a) in the Marriage Notice Book	24.00	16.00
(b) in the Marriage Certificate Book	24.00	16.00
107. For certification of a document referred to in sub-section (1) of section 24	9.00	6.00
108. For making a search :		
(a) if the entry is of the current year	24.00	16.00
(b) if the entry relates to any previous year of years .	45.00	30.00
Item 97 to 107 are covered by MEA Notification No. T. 434/10/78 dated 4-12-78.		
Part VII-Fees to be charged for Passport and other travel documents.		
109. Ordinary passport with a maximum initial validity of five years.	50.00	50.00
110. Renewal of ordinary passport	50.00 for five years or Rs 10/- per year or part thereof	50.00 for five years or Rs 10/- per year or part thereof
111. Issue of duplicate passport in lieu of the ordinary passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other such reason	50.00	50.00
112. Emergency Certificate with an initial validity of six months	15.00	10.00
113. Renewal of emergency Certificate (two renewals for three months at a time)	7.25	5.00
114. Duplicate Emergency Certificate in lieu of the Emergency Certificate that has been lost, stolen, damaged or destroyed	15.00	10.00
115. Certificate of Identity with a maximum initial validity of two years	30.00	20.00

(1)	(2)	(3)
116. Renewal of Certificate of Identity (per year or part thereof for two years)	15.00	10.00
117. Duplicate Certificate of Identity in lieu of the Certificate of Identity that has been lost, stolen, damaged or destroyed	30.00	20.00
118. (i) Additional endorsement or other miscellaneous service on ordinary passport (not being a miscellaneous service referred to in item (ii) of this entry)	30.00	20.00
(ii) Adding supplimentary booklet when all the pages in an existing ordinary passport are used up	15.00	10.00
(iii) Additional endorsement or miscellaneous service on an Emergency Certificate	7.25	5.00
(iv) Additional endorsement or miscellaneous service on a Certificate of Identity	15.00	10.00
119. India-Bangladesh Passport for travel between India and Bangladesh with a maximum initial validity of three years.	..	15.00 (In Bangladesh).
120. Renewal of India-Bangladesh passport	..	15.00 for 3 years or Rs. 5/- per year or part thereof (In Bangladesh)
121. Issue of a duplicate passport in lieu of the India-Bangladesh passport which has been lost, stolen, damaged or destroyed	..	15.00 In Bangladesh
122. Miscellaneous services on an India-Bangladesh passport .	..	5.00 (In Bangladesh).
123. Issue of a new booklet when all the pages in an existing India-Bangladesh passport are exhausted	..	10.00(In Bangladesh).
124. India- Sri Lanka Passport with a maximum initial validity of four years	..	8.00 (In Sri Lanka)
125. Renewal of India-Sri Lanka Passport	..	8.00 for four years/ or Rs. 2/- per year or part thereof(In Sri Lanka)
126. Miscellaneous services on India-Sri Lanka Passport . .	..	2.00 (In Sri Lanka)
127. Issue of fresh India-Sri Lanka passport in lieu of one lost, stolen, damaged or destroyed	..	8.00 (In Sri Lanka)
128. Issue of new India-Sri Lanka passport when all pages in existing passport are exhausted	..	5.00 (In Sri Lanka)
129. Additional passport for any country under the proviso to rule-13 upto initial validity of one year	10.00	10.00

(1)	(2)	(3)
Extension of validity of Additional passport referred to in item-123.	Rs 10/- per year or part thereof upto a total period of ten years	

(Items 108 to 129 are covered by MEA Notification No. GSR. 691(E) dated 11-12-80).

NOTE.—1. Wherever a Passport or travel document has been issued initially for a lesser period than the prescribed period, further extension upto such prescribed period shall be given gratis.

2. Category 'A' countries are :

(a) All Countries in North and South America;
(b) All countries in Europe including U.S.S.R.;
(c) All countries in West Asia and North Africa (Excluding People's Democratic Republic of Yeman, Yeman Arab Republic, Sudan and Somalia)
(d) Australia, New Zealand, Japan, Hongkong and Singapore. Category 'B' Countries are :

All countries excluding countries mentioned under category 'A'.

अनुबंध II

(पैरा 2 देखें)

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

राजनयिक एवं कौंसुली अधिकारी (शुल्क) नियम, 1949

नई दिल्ली, 8 नवंबर 1949

सं.420-कॉन.- राजनयिक एवं कौंसुली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का XLI) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. **लघु शीर्षक.-** इन नियमों को राजनयिक एवं कौंसुली अधिकारी (शुल्क) नियम, 1949

कहा जाएगा।

2. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में "अनुसूची" से आशय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची है।

3. **शुल्क पैमाना.-** अनुसूची I के कॉलम I में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में राजनयिक एवं कौंसुली अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शुल्क इसके कॉलम 2 में विहित पैमाने के अनुसार लगाया जाएगा।

4. **शुल्क माफी की शक्ति.-** (1) कोई राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारी नियम 3 के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को उस व्यक्ति जिसे कौंसुली सेवाएं प्रदान की गई हों, के निराश्रित होने के अथवा व्यावसायिक अथवा अंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार के आधार पर माफ कर सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं।

(2) यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नियम 3 के अंतर्गत लगाए जाने वाले किसी शुल्क के भुगतान से किसी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी होगी अथवा हो सकती है तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति के संबंध में ऐसे शुल्क को पूर्णत: अथवा आंशिक तौर पर माफ करने का निर्देश दे सकती है।

5. **कौंसुली सेवा के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाएगा.-** कोई राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारी इन नियमों में यथा-प्रावधानित को छोड़कर, अपने पद से जुड़े दायत्वों के निष्पादन में स्वयं के किसी कृत्य, वस्तु अथवा प्रदत्त सेवा के लिए किसी शुल्क अथवा रिवार्ड की मांग नहीं करेगा अथवा लेगा।

6. **शुल्क संग्रहण.-** सभी शुल्कों का भुगतान नकद किया जाएगा और उनके लिए रसीद जारी की जाएगी तथा एकत्र की गई धनराशि भारत सरकार के खाते में जमा कराई जाएगी।

7. **शुल्क तालिका का प्रकाशन.-** (1) अनुसूची-I में निर्धारित शुल्क तालिका की एक प्रति प्रत्येक कौंसुली कार्यालय में खुले स्थान पर लगाई जाएगी और प्रदर्शित की जाएगी और इसमें रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा देखी जा सकेगी।

(2) बड़े आकार में एक नोटिस शुल्क तालिका के बिल्कुल करीब संलग्न किया जाएगा अथवा प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें आम जनता को सूचित किया जाएगा कि शुल्क का भुगतान नकद रूप में किया जाए और ऐसे भुगतान के लिए रसीदें जारी की जाएगी।

7 क. **शुल्क तालिका की प्रतियों को नि:शुल्क जारी करना.-** अनुसूची 1 में वर्णित शुल्क तालिका की एक मुद्रित प्रति पोर्ट ऑफ इंडिया में प्रत्येक मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा बंदरगाह से जाने वाले प्रत्येक जलयान के मास्टर के अनुरोध पर उसे नि:शुल्क दी जाएगी।

8. **रजिस्टर का रख-रखाव.-** दी गई कौंसुली सेवाओं, जिन्हें सेवा दी गई है उन व्यक्तियों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता, प्रत्येक सेवा के लिए लिए गए शुल्क की राशि, आवेदन प्रपत्र संख्या और रसीद संख्या और कौंसुली अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त ब्यौरे दर्शाने वाला एक कौंसुली सेवा रजिस्टर प्रत्येक कौंसुली कार्यालय में रखा जाएगा।

9. **एकत्रित किए गए कौंसुली शुल्कों को मासिक लेखा विवरणों में शामिल करना.-** इन नियमों के अंतर्गत एकत्रित किए गए कौंसुली शुल्क कौंसुली कार्यालय द्वारा भारत सरकार को भेजे गए मासिक लेखा विवरण के जरिए दिखाए जाएंगे और विवरण के साथ प्रथम सचिव, अथवा जहां प्रथम सचिव न हों वहां मिशन प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा। जिसमें यह उल्लेख होगा कि संबंधित माह का कौंसुली शुल्क लेखा की विधिवत जांच कर ली गई है और एकत्रित धनराशि भारत सरकार के खाते में जमा करा दी गई है।

अनुसूची 1

(नियम 3 देखें)

कौंसुली शुल्क तालिका

		शुल्क राशि .....
जिन मामलों में शुल्क लगाया जाना है	श्रेणी "क"देश	श्रेणी "ख"देश
(1)		(2) (3)
भाग I- व्यापारिक पोतों के संबंध में लिए जाने वाले शुल्क	रुपए	रुपए
1. पोत की रजिस्ट्री, स्थानांतरण और पारेषण, पोतों में हितधारिता अथवा पोतों पर को गिरवी रखने के लिए व्यापारिक पोत नववहन आधिनियम 1958 (1958 का 44) के तहत की गई अथवा लेखाबद्ध प्रत्येक घोषणा के लिए	105.00	70.00
2. प्रमाण पत्र अथवा रजिस्ट्री पर मास्टर के परिवर्तन के ज्ञापन को पृष्ठांकित करने के लिए, और जलयान सदस्यों के साथ करार पर उसके हस्ताक्षर, यदि अपेक्षित हों, करने के लिए	60.00	40.00
3. रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए (यह शुल्क घोषणा पर शुल्कों में शामिल नहीं होगा)	390.00	260.00
4. पोत अथवा पोत के शेयरों के बंध-पत्र को रिकॉर्ड करने के लिए	390.00	260.00
5. पोत अथवा पोत के शेयरों के बंध-पत्र को हस्तांतरित करना रिकॉर्ड करने के लिए	390.00	260.00
6. पोत अथवा पोत के शेयरों के बंध-पत्र के डिस्चार्ज को रिकॉर्ड करने के लिए	390.00	260.00
7. कौंसुल कार्यालय के समक्ष किसी पोत की प्रत्येक ब्रिकी अथवा पोत के शेयरों की ब्रिकी के लिए	390.00	260.00
8. पोतों में लेन-देन की रजिस्टर बुक से उद्धरणों की सत्यापित प्रति के लिए,	45.00	30.00

	यदि 100 शब्दों से अधिक न हो। उसके बाद के प्रत्येक 100 शब्दों के लिए	25.00	16.00
9.	किसी कौंसुली अधिकारी के समक्ष काम पर लगे प्रत्येक नाविक के लिए	30.00	20.00
10.	किसी कौंसुली अधिकारी के समक्ष नाविकों के साथ किए गए करार में प्रत्येक परिवर्तन के लिए	30.00	20.00
11.	किसी कौंसुली अधिकारी की स्वीकृति से डिस्चार्ज किए गए अथवा पीछे छोड़े गए प्रत्येक नाविक के लिए	30.00	20.00
12.	किसी कौंसुल अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रत्येक पलायन के लिए	30.00	20.00
13.	किसी पोत पर किसी व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु का विवरण प्राप्त करने के लिए और उसके संबंध में पोत करार का समर्थन करने के लिए	30.00	20.00
14.	किसी नाविक की वसीयत के निष्पादन को अधिप्रमाणित करने के लिए	30.00	20.00
15.	किसी मृतक नाविक की मजदूरी इत्यादि के दावे के प्रपत्र के प्रमाणन के लिए	15.00	10.00
16.	रसद अथवा पानी की जांच के लिए, जिसका भुगतान सर्वेक्षण की लागत के अतिरिक्त उस पक्ष द्वारा किया जाएगा जो डिफाल्ट में होना साबित करता है।	180.00	120.00
17.	व्यापारिक पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अनुसरण में किए गए प्रत्येक बचाव बंध-पत्र के लिए, जिसका भुगतान बचाई गई संपत्ति के स्वामी अथवा मास्टर द्वारा किया जाएगा।	600.00	400.00
18.	पोत के दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिए, उन पर पृष्ठांकन करने के लिए और पोत के दस्तावेजों के निरीक्षण के शुल्क सहित व्यापारिक पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र देने के लिए	45.00	30.00
19.	समुद्री विरोध दर्ज करने के लिए और यदि अपेक्षित हो तो एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए	105.00	70.00
	प्रत्येक अन्य प्रति के लिए	45.00	30.00
20.	सर्वेक्षण के लिए अनुरोध दर्ज करने हेतु और सर्वेक्षण का आदेश जारी करने के लिए	180.00	120.00
21.	सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करने, अभिलेखागार में मूलप्रति फाइल करने के	390.00	260.00

	लिए (यदि 200 शब्दों से अधिक न हो) और यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुत करने के लिए, सर्वेक्षण के अनुरोध, आदेश और रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति,		
22.	कारगो अथवा यात्री जलयानों के सामान्य आवधिक सर्वेक्षण के लिए-		
	(क) अधिकतम 5000 नेट रजिस्टर टन कारगो, प्रति नेट रजिस्टर टन	5.00	3.00
	उपर्युक्त धनराशि के अतिरिक्त -वही- 5000 नेट रजिस्टर टन से अधिक के लिए, प्रत्येक 1000 टन अथवा उसके 5000 टन से अधिक हिस्से के लिए,	945.00	630.00
	(ख) अधिकतम 5000 सकल रजिस्टर टन वाले यात्री जलयान, प्रति सकल रजिस्टर टन	5.00	3.00
	उपर्युक्त धनराशि के अतिरिक्त -वही- 5000 सकल रजिस्टर टन से अधिक के लिए, प्रत्येक 1000 टन अथवा उसके 5000 टन से अधिक हिस्से के लिए,	945.00	630.00
	नोट (3) खंड (क) अथवा खंड (ख) के अंतर्गत ली जाने वाली शुल्क की राशि श्रेणी “क” में रुपए 18900 से अधिक नहीं होगी और श्रेणी “ख” में रुपए 10600 से अधिक नहीं होगी।		
	नोट (3) किसी कारगो अथवा यात्री जलयान के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रभारित किया जाने वाला शुल्क दी गई सेवा की प्रकृति और सीमा के अनुसार होगा।		
	नोट (3) उपर्युक्त शुल्क में समुद्र में जाने की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र अथवा कोई यात्री प्रमाण-पत्र प्रदान करना अथवा नवीकरण करना शामिल है किंतु इसमें समयोपरि प्रभार और यात्रा व्यय शामिल नहीं है।		
23.	समुद्री विरोधों के लिए, यदि 200 शब्दों से अधिक न हो, मूल प्रति फाइल करने के लिए और यदि अपेक्षित हो तो एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के लिए शपथ अथवा घोषणाओं अथवा यदि अपेक्षित हो तो विरोध के स्वरूप की ड्राईंग के लिए शुल्क शामिल नहीं है।	390.00	260.00
24.	किसी अन्य विरोध के लिए (विनिमय बिल के अतिरिक्त) यदि 200 शब्दों से अधिक न हो, मूल प्रति फाइल करने के लिए और यदि अपेक्षित हो तो एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के लिए। इसमें विरोध के स्वरूप की ड्राईंग	390.00	260.00

	के लिए शुल्क शामिल नहीं है।		
25.	यदि विरोध अथवा सर्वेक्षण की रिपोर्ट 200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक अतिरिक्त 100 शब्दों अथवा उसके अंश के लिए	45.00	30.00
26.	औसत, बॉटमरी अथवा माध्यस्थम बंध-पत्र, प्रत्येक प्रति, के लिए	105.00	70.00
27.	विदेशी बंदगाह पर खोली जा रही करार की नई मदों के संबंध में भारतीय जलयान के सदस्यों के साथ नए सिरे से करार तैयार करने के लिए और प्रति प्रस्तुत करने के लिए जो व्यापारिक पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा अपेक्षित है,पोत कर्मियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।		
	श्रेणी “क” देशों में न्यूनतम 150 रुपए के साथ प्रत्येक नाविक के लिए 10 रुपये और श्रेणी “ख” देशों में न्यूनतम 105 रुपए के साथ प्रत्येक नाविक के लिए 7 रुपए और अधिकतम	390.00	260.00
28.	स्वास्थ्य बिल	150.00	100.00
29.	विदेशी स्वास्थ्य बिल को प्रमाणित करने के लिए	150.00	100.00
30.	प्रेषित माल के समर्थन में मूल अथवा अन्य दस्तावेजों का प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा अधिप्रमाणित करने के लिए, प्रत्येक अलग दस्तावेज के लिए और प्रति दायर करने के लिए	45.00	30.00
31.	प्रत्येक अतिरिक्त प्रति के लिए यदि कौंसुली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो और मुहर लगाई गई हो	45.00	30.00
32.	किसी भारतीय बंदरगाह से निर्यांति किए गए सामान के विधिवत पहुंचने का प्रमाण पत्र	105.00	70.00
33.	किसी नाविक की गिरफ्तारी अथवा उसे जेल भेजने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को प्रेषित आवेदन के लिए, यदि मास्टर के अनुरोध पर प्रदान किया गया हो- प्रत्येक नाविक के लिए, यदि एक से अधिक संबंधित हों	24.00	16.00
34.	-वही-, किसी नाविक की रिहाई के लिए:- प्रत्येक नाविक के लिए, यदि एक से अधिक संबंधित हों	75.00	50.00
35.	किसी जलयान के कर्मियों की संख्या के संबंध में प्रदान किए गए अथवा जलयान के आने और जाने की अनुमति के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य मामले में प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए	105.00	70.00

36.	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित रूप और भाषा में एक मस्टर रोल अथवा विस्तृत सूची तैयार करना जिसमें जलयान के प्रत्येक कर्मी के नाम इत्यादि दिए जाएंगे।	45.00	30.00
37.	कौंसुली हस्ताक्षर और मुहर लगाने के लिए, यदि पोर्ट की स्पष्टता के लिए अपेक्षित हो	105.00	70.00
38.	किसी भारतीय जलयान की आधिकारिक लॉग बुक में किसी प्रविष्टि पर कौंसुली मुहर अथवा हस्ताक्षर करने के लिए, यदि व्यापारिक पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा ऐसी प्रविष्टि अपेक्षित न हो।	75.00	50.00
39.	किसी पोत अथवा पोत के शेयरों की ब्रिकी के निष्पादन को अधिप्रमाणित करने के लिए	105.00	70.00
40.	आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर किए जाने सहित किसी विदेशी पोत में किसी नाविक को भर्ती करने के लिए प्रारंभिक स्थिति के तौर पर विदेशी प्राधिकारियों द्वारा किसी कौंसुली अधिकारी से अपेक्षित किसी दस्तावेज के लिए	30.00	20.00
41.	किसी लाश्कर नाविक की नियुक्ति अथवा सेवामुक्ति अथवा उसे पीछे छोड़ जाने अथवा किसी विदेशी पोत के मास्टर द्वारा व्यापारिक पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत किए गए किसी परिवर्तन को प्रमाणित करने के लिए अथवा उसकी मृत्यु प्रमाणित करने के लिए अथवा ऐसे किसी नाविक द्वारा अपना पोत छोड़ देने के लिए।	30.00	20.00
42.	एक विदेशी पोत से दूसरे विदेशी पोत पर करार के साथ एक अथवा अधिक लास्कर नाविक के स्थानांतरण को प्रमाणित करने के लिए, प्रति नाविक नोट.- यह शुल्क मद 41 के अंतर्गत शुल्क में शामिल है और इसके अतिरिक्त नहीं है तथा इसे दोनों संबंधित पोतों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। ताकि दोनों पोतों से लिया जाने वाला अधिकतम शुल्क श्रेणी “क” के देशों में 1500 रुपए और श्रेणी “ख” के देशों में 1000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।	60.00	40.00
43.	जब दस्तावेज पेश करना पोत की ओर से कौंसुली अधिकारी के लिए कोई विशिष्ट सेवा देना अपेक्षित हो, पोत के दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए नोट.- पोत के दस्तावेजों इत्यादि की अभिरक्षा के लिए मद 18 के अंतर्गत शुल्क के अतिरिक्त यह शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा जब तक कि बीच	45.00	30.00

	में कौंसुली कार्यालय द्वारा करार को समाप्त न कर दिया गया हो।		
	भाग II- कौंसुली अधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य सेवाओं के संबंध में लिए जाने वाले शुल्क		
44.	अन्यथा उल्लेख न किया या प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए, यदि 100 शब्दों से अधिक न हो, आहरन किए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त	105.00	70.00
	यदि 100 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक अतिरिक्त 100 शब्दों अथवा उनके भाग के लिए	45.00	30.00
45.	घोषणा प्राप्त करने के लिए जिसमें शेयरों पर आयकर से छूट अथवा वापसी का दावा किया गया हो	24.00	16.00
46.	हलफनामे अथवा घोषणा में उल्लिखित प्रदर्श में कौंसुली अधिकारी के प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए	24.00	16.00
47.	किसी कौंसुली अधिकारी द्वारा तैयार न किए गए किसी दस्तावेज पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक परिवर्तन अथवा अंतर-लेखन के लिए	5.00	3.00
48.	किसी कौंसुली अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित शेयरों अथवा स्टॉक के हस्तांतरण पर प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए, जब कौंसुली अधिकारी के अतिरिक्त एक अथवा अधिक गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया हो	45.00	30.00
49.	किसी कौंसुली अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित शेयरों अथवा स्टॉक के हस्तांतरण पर प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए, जब कौंसुली अधिकारी के अतिरिक्त एक अथवा अधिक गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया हो	75.00	50.00
50.	नोटिस बोर्ड पर पेटेन्ट, डिजाइन और ट्रेड मार्क की एक प्रति प्रदर्शित करने के लिए और एक प्रमाण पत्र देने के लिए कि पेटेन्ट डिजाइन और ट्रेड मार्क प्रदर्शित कर दिया गया है।	240.00	160.00
51.	किसी कौंसुली अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित मुख्तारनामे के प्रत्येक निष्पादन के लिए नोट.- जब 4 से अधिक व्यक्ति एक ही समय मुख्तारनामे को निष्पादित करते हैं तो श्रेणी “क” देशों में केवल 300 रुपए और श्रेणी “ख” देशों में	75.00	50.00

	केवल 200 रुपए प्रभारित किए जाएंगे।		
52.	किसी व्यक्ति जो भारतीय नाविक न हो, की वसीयत के निष्पादन को अधिप्रमाणित करने के लिए	105.00	70.00
53.	सरकारी वेतन एवं पेंशन के लिए त्रिमासिक अथवा मासिक घोषणाओं पर कौंसुली अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर, यदि अपेक्षित हो, लगाने के लिए नोट.- सेना, नौसेना, वायु सेना अथवा व्यापारिक पोत सेवा कार्मिकों अथवा उनकी विधवाओं अथवा उत्तराधिकारियों से कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और 'नि:शुल्क' शब्द कौंसुली अधिकारी के हस्ताक्षर के सामने लिख जाएगा। सिविल पेंशन अथवा सेवा निवृत्ति वेतन आहरित करने वाले व्यक्तियों के लिए शुल्क माफ नहीं किया जाएगा।	5.00	5.00
54.	अस्तित्व संबंधी किसी अन्य घोषणा पर कौंसुली अधिकारियों के हस्ताक्षर तथा मोहर लगाने हेतु	24.00	16.00
	टिप्पणी: जीवन प्रमाण-पत्रों तथा अंगुलियों के छ: माही निशान पर हस्ताक्षर तथा मोहर हेतु वसिकदारों से किसी प्रकार का काई शुल्क नहीं लिया जाएगा; ऐसे मामलों में 'नि:शुल्क' शब्द कौंसुली अधिकारियों के हस्ताक्षर के सामने लिखा जाएगा।		
55.	अस्तित्व संबंधी किसी अन्य घोषणा पर कौंसुली अधिकारियों के हस्ताक्षर हेतु, यदि किसी कौंसुली अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए.....	45.00	30.00
56.	किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी प्रमाण-पत्र हेतु.....	75.00	50.00
	टिप्पणी: यदि आवेदक को कौंसुली अधिकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, तो वह आवेदक से अपनी पहचान के संबंध में संतोषप्रद साक्ष्य की मांग कर सकता है और वह इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने तक यह प्रमाण-पत्र देने से मना कर सकता है क्योंकि साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आवेदक की होती है।		
57.	निवास हेतु परमिट देने हेतु किसी विदेशी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज जारी करने हेतु.....	24.00	16.00
58.	भारत में पैसा भेजने की सुविधा की अनुमति प्रदान करने के लिए किसी विदेशी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र के अधिप्रमाणन हेतु	5.00	3.00
59.	किसी विदेशी प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणन हेतु.....	75.00	50.00
60.	अनुपूरक नियमावली के नियम 256 में यथानिर्धारित प्रपत्र में दो योग्य विदेशी	12.00	8.00

चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के अधिप्रमाणन हेतु.....		
61. किसी ऐसे दस्तावेज, जिसका अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, में प्रत्येक हस्ताक्षर का किसी कौंसुली अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन हेतु.....	75.00	50.00
टिप्पणी: डाकघर बचत बैंक में पैसा जमा करवाने अथवा उससे पैसा निकालने के लिए अथवा बचत बैंक वार्षिक भृति हेतु अपेक्षित किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर के अधिप्रमाणन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।		
62. किसी दस्तावेज अथवा दस्तावेज के किसी हिस्से की प्रति के प्रमाणन हेतु, यदि यह 100 शब्दों से कम हो.....	45.00	30.00
यदि यह 100 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक 100 शब्दों अथवा इसके किसी भाग के लिए	15.00	10.00
टिप्पणी: यदि यह दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में है, उपर्युक्त शुल्कों का दुगुना शुल्क लिया जाएगा। जब यह प्रति कौंसुली अधिकारी द्वारा बनाई जाएगी तो मद संख्या 83 के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।		
63. किसी भारतीय नागरिक की वसीयत खोला जाना जो नाविक ना हो, कौंसुली के हस्ताक्षर से लेकर कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.....	300.00	200.00
64. किसी कौंसुली अधिकारी के समक्ष दिलाये गए शपथ अथवा अभिपुष्ट हलफनामें के लिए	45.00	30.00
65. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 382 के तहत प्रदत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हेतु-	90.00	60.00
(क) ऐसी परिसंपतियों के संबंध में जिसका मूल्य 10000 रूपये से अधिक न हो.....	75.00	50.00
(ख) 10000 रूपये से अधिक की परिसंपतियों के संबंध में, प्रत्येक 10000 रूपये अथवा इसके किसी भाग के लिए.....		
किसी भारतीय नागरिक जो नाविक न हो, की परिसंपति जो कौंसुली अधिकारी के देश में स्थित हो और जिसकी मृत्यु निर्वसीयत हुई हो अथवा वसीयत के साथ हुई हो, के संबंध में उसके किसी कानूनी सक्षम प्रतिनिधि के न होने की स्थिति में अभिशासन अथवा संवितरण या दोनों हेतु	अनुमानित मूल्य का 2½ प्रतिशत	
निम्नलिखित मामलों में ढाई प्रतिशत शुल्क लागू नहीं है-		
(i) कानूनी वारिसों को मृत्यु क्षतिपूर्ति का भुगतान और प्रेषण		
(ii) मृत व्यक्ति की धनराशि कानूनी वारिसों को दिया जाना		

(विदेश मंत्रालय के दिनांक 23.04.83 के परिपत्र संख्या टी.436/3/78 और दिनांक 28.05.84 के परिपत्र संख्या टी.436/108/84(एफएटी/84/आई/24) देखें)

टिप्पणी (1) - यह शुल्क तब लिया जाएगा जब किसी मृत भारतीय नागरिक की परिसंपत्ति अथवा उस परिसंपत्ति से प्राप्त प्रतिफल किसी कोंसुली अधिकारी को आधिकारिक रूप से या तो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा इस कारण सौंपी जाए कि स्थानीय कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की परिसंपत्ति अथवा इससे प्राप्त प्रतिफल का दावा करने हेतु कानूनी रूप से सक्षम नहीं है और इसके परिणामतः कोंसुली अधिकारी को सौंपी जानी है ताकि वह अनुपस्थित पक्षों को सीधे अथवा भारत सरकार के माध्यम से हस्तांतरित कर सके।

टिप्पणी (2) – यह शुल्क उस परिसंपत्ति के किसी हिस्से के मूल्यांकन पर भी प्रभारित किया जाना चाहिए जिसे कोंसुली अधिकारी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए घर भेज सके। सस्ते आभूषण तथा अन्य वस्तुओं सहित 2000 रुपए से कम मूल्य की प्रतिभूति बिना कोई शुल्क प्रभारित किए घर भेजी जा सकती है; यदि इसका मूल्य अनुमानित मूल्य से अधिक हो और इसका संबद्ध धनराशि बिना वसूली के घर प्रेषित की जाती है तो संपूर्ण अनुमानित मूल्य पर 2½ प्रतिशत शुल्क अवश्य प्रभारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी (3) – इस शुल्क में पत्राचार करने, हुंडियों पर हस्ताक्षर करने, ऋण का भुगतान करने और प्रशासक के रूप में कार्य करने तथा कानूनी रूप से हकदार पक्षकारों को परिसंपत्ति का संवितरण करने अथवा भारत सरकार को भेजने, जैसा भी मामला हो, से संबंधित सामान्य शुल्क आदि शामिल हैं। किसी मृत भारतीय नागरिक की परिसंपत्ति के अभिशासन अथवा संवितरण के मामले में यदि कोंसुली अधिकारी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कोई अन्य ऐसी सेवा करे जिसके लिए किसी विशेष शुल्क की व्यवस्था की गई हो, तो इस प्रकार की सेवा के लिए निर्धारित शुल्क भी लिए जाने चाहिए।

टिप्पणी (4) – किसी भारतीय नागरिक के निधन के मामले में कोई रिश्तेदार न होने के कारण जब किसी कोंसुली अधिकारी को भेजा जाता है और वह मृत व्यक्ति की परिसंपत्ति की केवल अस्थाई अभिरक्षा की व्यवस्था करता है तो उनके रिश्तेदारों अथवा इस परिसंपत्ति की देखभाल करने में सक्षम अन्य व्यक्तियों के पहुंचने तक अथवा ऐसे व्यक्तियों से निर्देश मिलने तक 2½ प्रतिशत का शुल्क नहीं लिया जाएगा,

परंतु कोंसुली अधिकारी की मुहर लगाने हेतु और मृत व्यक्ति के घर में उनके उपस्थित होने संबंधी शुल्क देय होंगे।		
टिप्पणी (5) – किसी अधीनस्थ कोंसुली केंद्र में अभिरक्षित संपदा संबंधी राशि अथवा वस्तुओं को अधीक्षण कोंसुलावास को भेजा जाना चाहिए।		
67. किसी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, न ही वह नाविक है जिसका निधन निर्वसीयत अथवा वसीयत के बाद हुआ है, की परिसंपत्ति कोंसुली अधिकारी के निवास देश में स्थित होने और परिसंपत्ति कानूनी सक्षम प्रतिनिधियों के न होने की स्थिति में मद संख्या 66 में उल्लिखित कार्यों के अनुरूप कार्य निर्वहन हेतु, जब मृत व्यक्ति के भारत में रहने वाले उत्तराधिकारी इस प्रकार की परिसंपत्ति में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से रुचि ले रहे हों	अनुमानित मूल्य का 2½ प्रतिशत	
68. दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने तथा उस संकलन पर कोंसुली अधिकारियों की मुहर लगाने हेतु	18.00	12.00
69. अधिप्रमाणन हेतु तथा अन्य व्यय के अलावा लोकल रिकॉर्ड कार्यालय अथवा किसी अन्य स्थान से स्थानीय रजिस्टरों से उद्धृत अंश अथवा वसीयत, विलेखों की प्रतियों अथवा अन्य सामग्री प्राप्त करने हेतु	75.00	50.00
70. इस अनुसूची में अन्यथा उल्लेख न किए गए किसी दस्तावेज़, जो अपेक्षित हो, पर कोंसुली अधिकारी के हस्ताक्षर करने तथा मुहर लगाने हेतु ..... टिप्पणी – किसी नाविक को अस्पताल भेजने के बाबत कोई आदेश अथवा पत्र के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।	75.00	50.00
71. रिट भेजने या रिट भेजने का प्रयास करने के लिए .... जिस व्यक्ति को रिट भेजा जाना है उसके पते पर एक बार दौरा करने के लिए ..... आवश्यकतानुसार प्रत्येक अतिरिक्त दौरे के लिए	190.00 105.00	125.0 0 70.00
72. किसी दस्तावेज़, पैकेट अथवा किसी वस्तु पर कोंसुली अधिकारियों के मुहर लगाने हेतु, जब कोई हस्ताक्षर अपेक्षित न हो	24.00	16.00
भाग III कोंसुली अधिकारियों की कुछ उपस्थिति हेतु शुल्क टिप्पणी – सामान्य नियम के अनुसार किसी कोंसुली अधिकारी को संबंधित पक्षकारों के अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के आवेदन पर कार्यालय से बाहर जाना होता है और इस प्रकार की उपस्थिति कोंसुली अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर है, बशर्ते उनकी शासकीय ड्यूटी इस प्रकार की अनुपस्थिति की अनुमित प्रदान करे।		

जहाज क्षतिग्रस्त होने के मामले में अथवा संकट में फंसे किसी जहाज को सहायता पहुंचाने के प्रयोजनार्थ कोंसुली अधिकारी को किसी विशेष अनुरोध का इंतजार किए बिना वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति जान-माल को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों के लिए सहायक हो सकती है और ऐसे मौकों पर मद 73 तथा 74 में उल्लिखित शुल्क देय नहीं है, परंतु किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनकी उपस्थिति जारी नहीं रखी जानी चाहिए जब तक कि इसके लिए विशेष तौर पर अनुरोध न किया गया हो।

यदि को कोंसुली अधिकारी कार्यालय से बाहर जाते हैं, हालांकि ऐसा अत्यंत विशिष्ट मामलों में या पक्षकारों के अनुरोध पर ही होना चाहिए, तो कनिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति का शुल्क इस अनुसूची में निर्धारित राशि का आधा होना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ जाने वाला एक लिपिक माना जाता है। शुल्क के प्रयोजनार्थ अकेले जाने वाले प्रोकोंसुली अधिकारी को कोंसुली अधिकारी माना जाता है।

किसी स्थान के कारोबारी समय के दौरान कोंसुली अधिकारी के निजी आवास पर उपस्थिति को शुल्क प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत नहीं समझा जाना चाहिए।

73. क्षतिंग्रस्त जहाज पर अथवा स कट में फंसे किसी जहाज को सहायता पहुंचाने के प्रयोजनार्थ प्रतिदिन	600.00	400.00
74. क्षतिग्रस्त जहाज पर अथवा रुचि लेने वाले पक्षकारों के अनुरोध पर सहायता पहुंचाने अथवा बचाव कार्य हेतु सलाह देने के लिए प्रतिदिन	825.00	550.00
75. रुचि लेने वाले पक्षकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर मृत व्यक्ति की परिसंपत्ति पर मुहर लगाने अथवा हटाने हेतु, यदि दो घंटे से कम अनुपस्थित हो	300.00	200.00
श्रेणी 'क' के देशों में प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके भाग के लिए 150 रुपए और श्रेणी 'ख' देशों में प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके भाग के लिए 100 रुपए, प्रतिदिन अधिकतम	1200.00	800.00
76. रुचि लेने वाले पक्षकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर मूल्यांकन करने के लिए यदि दो घंटे से कम अनुपस्थित हो	300.00	200.00
श्रेणी 'क' के देशों में प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके भाग के लिए 150 रुपए और श्रेणी 'ख' देशों में प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके भाग के लिए 100 रुपए, प्रतिदिन अधिकतम	1200.00	800.00

77.

78. रुचि लेने वाले पक्षकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर बिक्री करने के लिए यदि दो घंटे से कम अनुपस्थित हो	600.00	800.00
श्रेणी 'क' के देशों में प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके भाग के लिए 150 रुपए और श्रेणी 'ख' देशों में प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अथवा उसके भाग के लिए 100 रुपए, प्रतिदिन अधिकतम	1200.00	800.00
79. रुचि लेने वाले पक्षकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर कोंसुली कार्यालय से इतर किसी अन्य स्थान पर लेन-देन, ऐसी ड्यूटी करने हेतु जिसके लिए शुल्क देय हो, इस प्रकार के शुल्क के अलावा प्रत्येक घंटे अथवा उसके भाग के लिए श्रेणी 'क' के देशों में 150 रुपए और श्रेणी 'ख' देशों में 100 रुपए, प्रतिदिन अधिकतम	1200.00	800.00
80. रुचि लेने वाले पक्षकारों के अनुरोध पर किसी ऐसी ड्यूटी के लिए जिसके लिए कोई शुल्क देय हो, कोंसुली कार्यालय में अथवा कोंसुली अधिकारी के आवास पर, इस प्रकार के शुल्क के अलावा दिन के समय, ऐसा कहें कि प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक परंतु उस स्थान पर सामान्य कारोबारी समय के दौरान नहीं, प्रत्येक आधे घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए	75.00	50.00
टिप्पणी – यह शुल्क रविवार को काम पर जाने के लिए देय है।		
भाग IV यह शुल्क कुछ अन्य सेवाओं के लिए लिया जाएगा जो कोंसुली अधिकारी अपने विवेकाधिकार से प्रदान करें		
81. किसी ऐसी ड्यूटी के लिए जिसके लिए इस अनुसूची में कोई शुल्क देय हो, कोंसुली कार्यालय में अथवा कोंसुली अधिकारी के आवास पर, इस प्रकार के शुल्क के अलावा दिन के समय, ऐसा कहें कि प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक प्रत्येक आधे घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए	150.00	100.00
82. घोषणा अथवा अन्य दस्तावेज़ अथवा विरोध दस्तावेज़ तैयार करने अथवा कोंसुली अधिकारी के समक्ष व्यक्तियों की घोषणाएं अथवा बयान लेने अथवा संविदाकारी पक्षकारों से संपर्क करके उनके समक्ष किए गए करारों को लिखित रूप प्रदान करने हेतु जो 50 शब्दों से अधिक न हों; जो अधिप्रमाणन संबंधी शुल्क से अलग हो	45.00	30.00
यदि 50 शब्दों से अधिक हो, प्रत्येक परवर्ती 50 शब्दों अथवा इसके किसी भाग के	18.00	12.00

लिए		
83. याचिकाएं, आवेदन अथवा विनिर्दिष्ट न किए गए अन्य दस्तावेज तैयार करने में सहायता करने हेतु, प्रत्येक ऐसी याचिका, आवेदन अथवा दस्तावेज़ के लिए	75.00	50.00
84. किसी दस्तावेज़ की प्रति तैयार करने अथवा सत्यापित करने हेतु, यदि यह 100 शब्दों से अधिक न हो जो अधिप्रमाणन शुल्क से अलग हो	24.00	16.00
यदि 100 शब्दों से अधिक हो, प्रत्येक 100 शब्द अथवा इसके किसी भाग के लिए	18.00	12.00
85. किसी दस्तावेज़ का अनुवाद तैयार करने अथवा इसकी जाँच करने हेतु, यदि यह 100 शब्दों से अधिक न हो जो अधिप्रमाणन शुल्क से अलग हो	75.00	50.00
86. चीनी अथवा जापानी भाषा में किसी दस्तावेज़ का अनुवाद तैयार करने अथवा इसकी जाँच करने हेतु, प्रथम 100 अक्षरों के लिए	480.00	320.00
प्रत्येक परवर्ती 100 अक्षरों अथवा इसके किसी भाग के लिए	150.00	100.00
87. प्रत्येक 15 मिनट अथवा इसके किसी भाग के लिए मौखिक अनुवाद तथा भाषांतरण के लिए श्रेणी 'क' देशों में 45 रुपए तथा श्रेणी 'ख' देशों में 30 रुपए जो प्रति घंटे अधिकतम होगा	150.00	100.00
टिप्पणी (1) – यह शुल्क मद 84 और 85 में उल्लिखित शुल्क के साथ नहीं लगाया जाना है।		
टिप्पणी (2) – यह शुल्क तब नहीं लगाया जाएगा जब कोंसुली अधिकारी को केवल किसी शासकीय दायित्व, उदाहरणार्थ विवादों को तय करने में समर्थ बनाने के लिए निर्वचन किया गया हो।		
88. वसीयतनामा तैयार करने के लिए, यदि 200 शब्द से अधिक न हों	300.00	200.00
यदि 200 शब्दों से अधिक हैं तो अगले प्रत्येक 100 शब्दों या उसके भाग के लिए	75.00	50.00
89. पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने के लिए , यदि 200 शब्द से अधिक न हों	150.00	100.00
यदि 200 शब्दों से अधिक हैं, अगले प्रत्येक 100 शब्दों या उसके भाग के लिए	75.00	50.00
90. उन मामलों में जहाँ कोंसुली अधिकारी के अलावा एक या अधिक	30.00	20.00

अनुप्रमाणक गवाहों की आवश्यकता है, इच्छुक पक्षकारों के अनुरोध पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक गवाह के लिए		
टिप्पणी – किसी कोंसुली अधिकारी के समक्ष दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक व्यक्तियों के मामले में कोंसुली अधिकारी द्वारा गवाह उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कोंसुली अधिकारी पक्षकारों के अनुरोध पर गवाह प्रस्तुत करता है तो प्रत्येक प्रस्तुत किए गए गवाह के लिए शुल्क लिया जाना है, न कि ऐसे गवाह के प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए।		
91. कोंसुली अधिकारी के ऐसे अनुमत्य कार्य जिनके संपादन के लिए कौंसुली आदेशों के तहत कोई बाध्यता नहीं है, निजी व्यक्तियों के अनुरोध पर और उनकी ओर से कोंसुली कार्यालय के अतिरिक्त कहीं और उपस्थिति के लिए श्रेणी 'क' देशों में प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए 150/- रुपए और श्रेणी 'ख' देशों में 100/- रुपए, प्रतिदिन अधिकतम	1200.00	800.00
टिप्पणी (1) – खोए हुए सामान की प्राप्ति या ऐसे ही कारणों के लिए कोंसुली अधिकारी की उपस्थिति हेतु यह शुल्क लागू होगा। यह वाणिज्यिक पूछताछ के संबंध में नहीं लगाया जाएगा।		
टिप्पणी (2) – जिन विवेकाधीन सेवाओं के लिए शुल्क लगाया जाता है उनसे संबंधित कार्य केवल अनुरोधकर्ता पक्षकारों के पूर्ण जोखिम और उत्तरदायित्व पर ही प्रारंभ किया जाना चाहिए और साथ ही पक्षकारों द्वारा उपयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की शर्त भी लगाई जाएगी।		
(मद 7-90 विदेश मंत्रालय अधिसूचना संख्या जीएसआर 326 (ई) दिनांक 2-4-79 में शामिल की गई हैं)।		
भाग v – जन्म/मृत्यु का पंजीकरण		
92. जन्म या मृत्यु का पंजीकरण (नाविक की मृत्यु के अतिरिक्त)	15.00	10.00
93. नाविक की मृत्यु के पंजीकरण के लिए	15.00	10.00
94. कोंसुलावास में रखे गए जन्म या मृत्यु की पंजिका में प्रत्येक खोज के लिए	6.00	4.00
95. पंजिका में किसी प्रविष्टि की प्रत्येक अनुप्रमाणित प्रति के लिए	15.00	10.00
96. भारतीय नागरिकता के पंजीकरण की प्रत्येक अनुप्रमाणित प्रति के लिए	60.00	40.00

97. नागरिकता नियमावली, 1956 के नियम 28 में निर्धारित पद्धति अनुसार निष्ठा की शपथ दिलाने के लिए ..... टिप्पणी – इसमें किसी राजनयिक या कोंसुली अधिकारी के समक्ष दिलाई गई शपथ या की गई कोई संपुष्टि भी शामिल है। (मद 91-95 गृह मंत्रालय अधिसूचना संख्या 26030/87 (ii)/78-IC दिनांक 30-5-81 में शामिल की गई हैं। मद 96 गृह मंत्रालय अधिसूचना संख्या 26030/87 (i)/78-C दिनांक 4-6-81 में शामिल की गई हैं)।	45.00	30.00

भाग VI – विवाह शुल्क

98. भावी विवाह के प्रत्येक नोटिस के लिए	120.00	80.00
99. नोटिस के प्रकाशन के लिए ..... टिप्पणी - समाचार-पत्रों में नोटिस के प्रकाशन के लिए उपयुक्त अग्रिम राशि ली जाएगी।	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
100. किसी आपत्ति को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए	300.00	200.00
101. विवाह संपादित करने के लिए	240.00	160.00
102. नियम 9 (ग) में उल्लिखित किसी स्थान पर विवाह संपादित करने के लिए .... टिप्पणी – यह शुल्क उपर्युक्त मद (iv) में उल्लिखित शुल्क के अतिरिक्त होगा	90.00	60.00
103. प्रतिवाद का नोटिस प्राप्त करने के लिए	240.00	160.00
104. विवाह अधिकारी को नोटिस दिए जाने और उसे प्रकाशित किए जाने के प्रमाणपत्र के लिए	45.00	30.00
105. विवाह संपादित किए जाने से इनकार करने, या विवाह के पंजीकरण से मना करने के मामले हेतु धारा 11 या धारा 17 के तहत अभिलेखबद्ध किए गए कारणों की अनुप्रमाणित प्रति के लिए	24.00	16.00
106. किसी प्रविष्टि की अनुप्रमाणित प्रति के लिएः	24.00	16.00
(क) विवाह नोटिस पुस्तिका में	24.00	16.00
(ख) विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका में		
107. धारा 24 की उपधारा (1) में संदर्भित किसी दस्तावेज़ के अनुप्रमाणन	9.00	6.00

के लिए		
108. किसी प्रविष्टि की खोज के लिएः (क) यदि प्रविष्टि वर्तमान वर्ष की है ..... (ख) यदि प्रविष्टि पिछले वर्षों से संबंधित है	24.00 45.00	16.00 30.00
मद 97-107 विदेश मंत्रालय अधिसूचना संख्या टी. 434/10/78 दिनांक 4-12-78 में शामिल की गई हैं		
भाग VII पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के लिए प्रभारित किया जाने वाला शुल्क		
109. पाँच वर्षों की अधिकतम प्रारंभिक वैधता वाला सामान्य पासपोर्ट	50.00	50.00
110. सामान्य पासपोर्ट का नवीकरण	पाँच वर्षों के लिए 50.00 या 10/- रुपए प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए	पाँच वर्षों के लिए 50.00 या 10/- रुपए प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए
111. सामान्य पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, खराब हो जाने या ऐसे किसी अन्य कारण के आधार पर उसके बदले में डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना	50.00	50.00
112. छह माह की प्रारंभिक वैधता वाला आपातकालीन प्रमाणपत्र	15.00	10.00
113. आपातकालीन प्रमाणपत्र का नवीकरण (एक समय में तीन माह के लिए दो नवीकरण)	7.25	5.00
114. आपातकालीन प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, खराब हो जाने पर उसके बदले में डुप्लीकेट आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करना	15.00	10.00
115. दो वर्षों की अधिकतम प्रारंभिक वैधता वाला पहचान प्रमाणपत्र	30.00	20.00

116. पहचान प्रमाणपत्र का नवीकरण (दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)	15.00	10.00
117. पहचान प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, खराब हो जाने पर उसके बदले में डुप्लीकेट पहचान प्रमाणपत्र जारी करना	30.00	20.00
118. (i) सामान्य पासपोर्ट पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या अन्य विविध सेवा (इस प्रविष्टि की मद (ii) में संदर्भित कोई विविध सेवा नहीं)	30.00	20.00
(ii) वर्तमान सामान्य पासपोर्ट में सभी पृष्ठों का प्रयोग हो जाने के बाद अतिरिक्त अनुपूरक पुस्तिका.....	15.00	10.00
(iii) आपातकालीन प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या विविध सेवा	7.25	5.00
(iv) पहचान प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या विविध सेवा	15.00	10.00
119. भारत और बंग्लादेश के बीच यात्रा करने के लिए तीन वर्षों की अधिकतम प्रारंभिक वैधता वाला भारत-बंग्लादेश पासपोर्ट.....	.....	15.00(बंग्लादेश में)
120. भारत-बंग्लादेश पासपोर्ट का नवीकरण	.....	3 वर्षों के लिए 15.00 अथवा प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 5/- रुपए (बंग्लादेश में)
121. भारत-बंग्लादेश पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, खराब हो जाने पर उसके बदले में डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना	.....	15.00(बंग्लादेश में)
122. भारत-बंग्लादेश पासपोर्ट संबंधी विविध सेवा	.....	5.00(बंग्लादेश में)
123. भारत-बंग्लादेश पासपोर्ट में सभी पृष्ठों का प्रयोग हो जाने के बाद नई पुस्तिका जारी करना.....	.....	10.00(बंग्लादेश में)
124. चार वर्षों की अधिकतम प्रारंभिक वैधता वाला भारत-श्रीलंका पासपोर्ट.....	.....	8.00(श्रीलंका में)
125. भारत- श्रीलंका पासपोर्ट का नवीकरण	.....	चार वर्षों के लिए

		8.00 अथवा प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 2/- रुपए (श्रीलंका में)
126. भारत- श्रीलंका पासपोर्ट संबंधी विविध सेवा	.....	2.00(श्रीलंका में)
127. भारत- श्रीलंका पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, खराब हो जाने पर उसके बदले में नया पासपोर्ट जारी करना	.....	8.00(श्रीलंका में)
128. भारत- श्रीलंका पासपोर्ट में सभी पृष्ठों का प्रयोग हो जाने के बाद नया पासपोर्ट जारी करना.....	.....	5.00(श्रीलंका में)
129. नियम-13 के प्रावधानों के तहत किसी भी देश के लिए एक वर्ष की प्रारंभिक वैधता वाला अतिरिक्त पासपोर्ट	10.00	10.00
मद 123 में संदर्भित अतिरिक्त पासपोर्ट की वैधता बढ़ाना		दस वर्षों की कुल अवधि के लिए 10/- रुपए प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए

(मद 108-129 विदेश मंत्रालय अधिसूचना संख्या जीएसआर 691 (ई) दिनांक 11-12-80 में शामिल की गई हैं)।

टिप्पणी-1 : जब कोई पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ प्रारंभ में निर्धारित अवधि से कम समय के लिए जारी किया जाता है, तो ऐसी निर्धारित अवधि तक उसमें आगे विस्तार बिना शुल्क के किया जाएगा।

2. श्रेणी 'क' देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) उत्तर और दक्षिण अमरीका में सभी देश;
(2) यू.एस.एस.आर. सहित यूरोप में सभी देश;
(3) पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में सभी देश (यमन के प्रजातांत्रिक गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, सूडान और सोमालिया को छोड़कर);
(4) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हांगकांग और सिंगापुर।

श्रेणी 'ख' देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

श्रेणी 'क' देशों में सम्मिलित देशों को छोड़कर सभी देश।